



2026:AHC:51274-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 12356 / 2022

लालसा देवी

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: ओम प्रकाश चौरसिया, राजेंद्र प्रताप सिंह, याकूब अंसारी।

प्रतिवादियों के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

ए.एफ.आर

न्यायालय संख्या- 1

माननीय न्यायमूर्ति श्री अजीत कुमार

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती गरिमा प्रसाद

(माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती गरिमा प्रसाद द्वारा प्रदत्त)

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रताप सिंह और प्रतिवादियों के स्थायी अधिवक्ता श्री प्रदीप्ता कुमार शाही की दलीलें सुनी गईं।
2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

“क. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित 16/12/2021 के आक्षेपित आदेश (इस रिट याचिका का अनुलग्नक-14) को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी करना।

ख. 'मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना' के तहत याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु पर याचिकाकर्ता के दावे का भुगतान करने का निर्देश देते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 'परमादेश' के स्वरूप का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना" नाम की एक कल्याणकारी योजना बनाई थी। इसका उद्देश्य किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद देना था, अगर योजना में बताई गई खास स्थितियों की वजह से किसान की मौत हो जाती है या वह हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है। यह योजना कई सालों से लागू है और समय-समय पर सरकारी आदेशों के ज़रिए इसमें बदलाव किए गए हैं। इनमें 10.07.2014, 20.06.2017 और 04.03.2020 के आदेश शामिल हैं, जिनके ज़रिए योजना को लागू करने और इसकी प्रक्रिया के ढांचे में संशोधन किए गए।

4. इस योजना का मकसद ऐसे किसान के परिवार को तुरंत आर्थिक मदद देना है, जिसकी दुर्घटना में मौत हो गई हो या जो हमेशा के लिए विकलांग हो गया हो, ताकि परिवार कमाने वाले सदस्य के चले जाने से आई अचानक आर्थिक तंगी से उबर सके।

5. इस मामले में, याचिकाकर्ता के दावे को 16.12.2021 के आदेश द्वारा केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि दावा समय-सीमा के बाद दायर किया गया था। विचार करने के लिए मुख्य विवाद यह है कि क्या योजना के तहत याचिकाकर्ता का दावा तय समय-सीमा के भीतर दायर किया गया था और क्या प्रतिवादियों का समय-सीमा के आधार पर दावे को खारिज करना उचित था।

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता के पति, राम प्रवेश यादव, जो एक सीमांत किसान थे, की मौत 06.09.2016 को एक भैंस के हमले के बाद हो गई थी। उसी दिन पंचनामा किया गया और 07.09.2016 को पोस्टमार्टम हुआ। मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 03.12.2016 को जारी किया गया था।

7. अधिवक्ता ने आगे कहा कि ज़रूरी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, याचिकाकर्ता ने तय चार महीने की समय-सीमा के भीतर ही संबंधित लेखपाल, महेंद्र राम के पास इस स्कीम के तहत अपना दावा जमा कर दिया था। हालाँकि, वह लेखपाल उस दावे को सक्षम अधिकारियों तक नहीं पहुँचा सका।

8. अधिवक्ता ने आगे कहा कि उक्त लेखपाल का तबादला अप्रैल 2017 में हो गया था, लेकिन वह याचिकाकर्ता के दावे से जुड़े दस्तावेज़ नए तैनात लेखपाल को सौंपने में नाकाम रहा। याचिकाकर्ता को इस बात का पता बाद में चला और पुराने लेखपाल से दस्तावेज़ वापस पाने की



काफी कोशिशों के बाद, आखिरकार उसने 27.01.2018 को वे दस्तावेज़ नए तैनात लेखपाल को सौंप दिए।

9. इसके बाद, संबंधित लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार के सामने पेश की, जिन्होंने 14.03.2018 को मामले को उप-जिलाधिकारी के पास भेज दिया। इसके बाद दावे को 15.03.2018 को मुख्य राजस्व अधिकारी के पास भेजा गया और बाद में 22.04.2019 को हुई 'किसान एवं सर्वहित बीमा योजना समिति' की बैठक में इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह समय-सीमा के कारण मान्य नहीं था।

10. इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने रिट- सी संख्या 26566/2020 दाखिल करके इस न्यायालय का रुख किया था। उक्त रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को एक विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल करने की छूट दी गई और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे तीन सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय लें। इसके अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने 08.02.2021 को एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

11. इस कोर्ट के आदेश के बावजूद, दावे पर कोई फैसला नहीं हुआ, जिससे याचिकाकर्ता को अवमानना की कार्यवाही शुरू करनी पड़ी। 09.11.2021 के आदेश से, इस कोर्ट ने अधिकारियों को दावे पर फैसला करने के लिए छह हफ्ते का और समय दिया। इसके पालन में, सक्षम अधिकारी ने 16.12.2021 को आक्षेपित आदेश पारित किया और दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसे 20 महीने से ज़्यादा की देरी से दायर किया गया था, जो स्कीम के तहत तय समय-सीमा से बाहर था और इसलिए इसे माफ़ नहीं किया जा सकता था।

12. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने अपने ही रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया, जिससे साफ़ पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने अप्रैल 2017 से पहले, तय समय-सीमा के अंदर दस्तावेज़ जमा कर दिए थे। यह भी बताया गया कि तत्कालीन लेखपाल, महेंद्र राम को 08.03.2018 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि उन्होंने पूरे दस्तावेज़ मिलने के बावजूद दावा आगे नहीं बढ़ाया था और भारी लापरवाही बरती थी। हालाँकि, जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसमें इन अहम बातों का कोई ज़िक्र नहीं है और दावा सिर्फ़ देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया है, जबकि उस देरी के लिए याचिकाकर्ता ज़िम्मेदार नहीं था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. इसके उलट, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि भले ही रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता की पिछली अर्जी की तारीख मौजूद नहीं थी, लेकिन यह माना गया कि याचिकाकर्ता ने पिछले लेखपाल को कुछ दस्तावेज़ सौंपे थे, जिन पर लेखपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। हालाँकि, चूँकि दावे पर आखिरकार 27.01.2018 के बाद ही कार्रवाई हुई – यानी 06.09.2016 को किसान की मौत के 20 महीने से भी ज़्यादा समय बाद – इसलिए सक्षम अधिकारी का इस दावे को स्कीम के तहत तय समय-सीमा से बाहर का मानकर उसे खारिज करना सही था।

14. इस न्यायालय ने पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया है और अपने सामने पेश किए गए मूल रिकॉर्ड को देखा है।

15. मूल रिकॉर्ड से साफ़ पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने अप्रैल 2017 से काफ़ी पहले ही तत्कालीन लेखपाल महेंद्र राम को दावा से जुड़े दस्तावेज़ सौंप दिए थे। दावा पर कार्रवाई में देरी इसलिए हुई क्योंकि उस अधिकारी ने न तो दावा को सक्षम अधिकारियों के पास भेजा और न ही अपने तबादले के समय दस्तावेज़ अपने उत्तराधिकारी को सौंपे।

16. रिकॉर्ड की और जांच करने पर पता चलता है कि उप-जिलाधिकारी और तहसीलदार ने जिलाधिकारी को 20.07.2021 की एक संयुक्त रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया था कि जांच की गई और पाया गया कि तत्कालीन लेखपाल, महेंद्र राम, ज़रूरी दस्तावेज़ मिलने के बावजूद याचिकाकर्ता का दावा जमा करने में नाकाम रहे थे, जिसके लिए उन्हें 08.03.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि उक्त लेखपाल ने कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, और नतीजतन उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की गई।

17. उक्त रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, ज़िला अधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी को ज़रूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद, 09.08.2021 के आदेश द्वारा, उक्त लेखपाल के खिलाफ़ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई और उप-जिलाधिकारी को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया।

18. हालाँकि, रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि उस अधिकारी को आखिर में सिर्फ़ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और उसे पेंशन से जुड़े सभी फ़ायदे मिलते रहे। इस तरह, जहाँ संबंधित अधिकारी को अपनी लापरवाही के लिए किसी गंभीर नतीजे का सामना नहीं करना पड़ा,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वहीं याचिकाकर्ता को एक कल्याणकारी योजना के फ़ायदे से वंचित कर दिया गया; इस योजना का मकसद मुश्किल समय में तुरंत आर्थिक मदद देना है। परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को अचानक खोने के बाद, याचिकाकर्ता को उस समय पर मिलने वाली मदद के बिना संघर्ष करना पड़ रहा है, जो इस योजना के तहत मिलनी चाहिए थी।

19. 10.07.2014 के सरकारी आदेश को देखने पर, जिसमें स्कीम को लागू करने के लिए दिशानिर्देश और उपधारा 11 के तहत दावों के निपटारे की प्रक्रिया बताई गई है, उसमें यह लिखा है:-

“11- दावों के निपटारे और निष्पादन की प्रक्रिया:-

अगर ज़मीन के मालिक किसान शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो दावों के निपटारे की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:- (1) 'किसान दुर्घटना बीमा योजना' को सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक ऑनलाइन सॉफ़्टवेयर (वेब पोर्टल) की ज़रूरत होगी। इसके ज़रिए, अप्राकृतिक मृत्यु या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में, किसान/पॉलिसी धारक या उन पर निर्भर व्यक्ति ऑनलाइन फ़ॉर्म जमा कर सकेंगे। इसके बाद, उन्हें तहसील में बीमा योजना से जुड़े ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे और उसकी रसीद लेनी होगी। इन दस्तावेज़ों को उप-जिलाधिकारी के कार्यालय से संबंधित बीमा कंपनी को भेजा जाएगा। किसान/पॉलिसी धारक या उन पर निर्भर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा चार महीने के भीतर सभी ज़रूरी फ़ॉर्म भरकर वेब पोर्टल पर बीमा का दावा जमा करना होगा।

किसान/पॉलिसी धारक या आश्रित को क्लेम फ़ॉर्म भरते समय वेब पोर्टल पर निम्नलिखित सबूत जमा करने होंगे:-

क - क्लेम फ़ॉर्म।

ख - खतौनी की प्रमाणित प्रति।

ग - उम्र का सबूत (प्राथमिकता के क्रम में):

(क) हाई स्कूल प्रमाण पत्र।

(ख) फ़ैमिली रजिस्टर।

(ग) राशन कार्ड।

(घ) वोटर पहचान कार्ड/वोटर लिस्ट।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ड) उम्र का कोई अन्य सबूत।

घ - पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंचनामा।

ड - प्राथमिकी /जीडी /पुलिस पंचनामा / उप-जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की कॉपी।

च - मृत्यु प्रमाण पत्र

छ - उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सिर्फ उत्तराधिकार से जुड़े विवाद के मामले में)।

अगर इश्योरेंस का दावा 4 महीने से ज्यादा लेकिन एक साल के अंदर जमा किया जाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट को देरी को माफ़ करने का अधिकार होगा। इश्योरेंस फॉर्म मिलने पर, संबंधित उप जिलाधिकारी फॉर्म तैयार करेंगे और बाकी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते के अंदर उन्हें इश्योरेंस कंपनी को भेज देंगे। इश्योरेंस कराने वाले या उन पर निर्भर व्यक्ति द्वारा इश्योरेंस कंपनी को फॉर्म भेजते समय, पैसे पाने वाले व्यक्ति का बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भी इश्योरेंस कंपनी को देना होगा। इसके बाद इश्योरेंस कंपनी उस रकम का चेक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सीधे संबंधित जिला अधिकारी के पास उस अकाउंट में भेजेगी, जो यह पक्का करेंगे कि यह रकम संबंधित ज़मीन के मालिक किसान या उसकी मौत की स्थिति में उसके कानूनी वारिस को 15 दिनों के अंदर मिल जाए।"

20. उस समय लागू योजना के नियमों के अनुसार, घटना की तारीख से चार महीने के भीतर पूरे दस्तावेजों के साथ दावा जमा करना ज़रूरी था। हालाँकि, अगर दावा चार महीने के बाद लेकिन एक साल के अंदर जमा किया गया था, तो संबंधित जिले के जिलाधिकारी को मामले की परिस्थितियों के आधार पर देरी को माफ़ करने का अधिकार था।

21. 16.12.2021 के आक्षेपित आदेश को देखने से साफ़ पता चलता है कि इसमें मामले पर ठीक से सोच-विचार नहीं किया गया। यह आदेश इस आधार पर दिया गया है कि दावेदार की ओर से कोई आवेदन नहीं दिया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि योजना के तहत पासबुक 15.01.2018 को ही बनाई गई थी, जिससे अधिकारी ने यह नतीजा निकाला कि उस तारीख से पहले याचिकाकर्ता ने लाभ का दावा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। हालाँकि, यह आदेश रिकॉर्ड में मौजूद अहम तथ्यों पर पूरी तरह खामोश है, जैसे कि याचिकाकर्ता द्वारा पहले आवेदन जमा करना, उस समय के लेखपाल का दावा प्रोसेस या आगे न बढ़ाना,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और ऐसी चूक के लिए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होना। ये तथ्य समय-सीमा के मुद्दे को तय करने के लिए अहम थे और इन पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना ज़रूरी था। इस तरह, ऐसा लगता है कि यह आक्षेपित आदेश रिकॉर्ड की ठीक से जाँच किए बिना, यांत्रिक और सतही तौर पर पारित किया गया है, जिसमें दावेदार को कल्याणकारी योजना के लाभार्थी के बजाय एक विरोधी पक्ष के रूप में देखा गया है।

22. "मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना" को किस मकसद से बनाया गया है, इसे ध्यान में रखना ज़रूरी है। राज्य सरकार ने यह योजना एक सामाजिक कल्याण उपाय के तौर पर शुरू की है, ताकि उन किसानों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके जिनकी दुर्घटना में मौत हो जाती है या जो हमेशा के लिए विकलांग हो जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मृतक किसान पर निर्भर लोगों को तुरंत आर्थिक मदद मिले, ताकि वे परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य के न रहने से आई अचानक आर्थिक तंगी से उबर सकें। इसलिए, यह योजना राज्य की उस कल्याणकारी नीति का हिस्सा है जिसका मकसद समाज के कमज़ोर वर्गों, खासकर किसान समुदाय को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देना है।

23. मुआवज़े के मामले पर फैसला करते हुए, **'यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम प्रभाकरण विजया कुमार' (2008) 9 एससीसी 527** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:

"11. ... चूंकि रेलवे एक्ट में मुआवज़े का प्रावधान एक लाभकारी कानून है, इसलिए हमारी राय में, इसका मतलब उदार और व्यापक तरीके से निकाला जाना चाहिए, न कि संकीर्ण और तकनीकी तरीके से। इसलिए, हमारी राय में ऊपर बताई गई दो व्याख्याओं में से बाद वाली व्याख्या—यानी वह जो विधि के उद्देश्य को आगे बढ़ाती है और उसके उद्देश्य को पूरा करती है—को प्राथमिकता दी जानी चाहिए...

12. ... दूसरे शब्दों में, लाभकारी या कल्याणकारी कानूनों की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए, न कि शब्दशः या सख्ती से..."

24. यह सिद्धांत तब और भी मज़बूती से लागू होता है जब प्रशासनिक अधिकारी अधीनस्थ या प्रत्यायोजित कानून (जैसे कार्यकारी आदेशों के ज़रिए बनाई गई सरकारी योजनाएँ) को लागू करते हैं। इसलिए, ऐसे मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई को सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सक्रिय और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, न कि कठोर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रक्रियात्मक तकनीकीताओं को अपनाकर योजना के उद्देश्य को विफल करना चाहिए। प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की अत्यधिक तकनीकी व्याख्या—खासकर तब जब देरी खुद अधिकारियों की प्रशासनिक चूक के कारण हुई हो—उस मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगी जिसके लिए ऐसी योजनाएँ बनाई गई हैं।

25. ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985 एससीआर सप्लिमेंट्री (2))

51) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य की कार्रवाई मानवीय होनी चाहिए और समाज के कमज़ोर वर्गों की वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। कल्याणकारी उपायों को लागू करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे मुश्किल में फंसे नागरिकों के प्रति निष्पक्षता, ज़िम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करें। अधीनस्थ या प्रत्यायोजित कानून, खासकर वे जो सामाजिक-आर्थिक कल्याण और उत्थान के लिए बनाए गए हैं, उन्हें सावधानी से और इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि वे उस उद्देश्य को आगे बढ़ाएं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है।

26. इस मामले में, संबंधित प्राधिकारी के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद था, जिसमें उनके अपने अधिकारी की गलती को दिखाने वाली जानकारी भी शामिल थी। ऐसी स्थिति में, प्राधिकारी को मानवीय और व्यावहारिक रवैया अपनाना चाहिए था; उन्हें अपने अधिकारी की गलती माननी चाहिए थी और यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि याचिकाकर्ता—एक विधवा जिसने अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य खो दिया था—को स्कीम के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद मिले। इसके बजाय, याचिकाकर्ता को कई प्राधिकारियों के सामने अपना दावा पेश करने और बार-बार इस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को अपने दावे पर फ़ैसला पाने के लिए दो बार इस कोर्ट में आना पड़ा और यहाँ तक कि अवमानना की कार्यवाही भी शुरू करनी पड़ी। कल्याणकारी योजना के लाभार्थी की मुश्किलों के प्रति उदासीनता दिखाने वाली इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई को, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध संवैधानिक व्यवस्था में सही नहीं ठहराया जा सकता।

27. यह वाकई हैरान करने वाली बात है कि जहाँ एक तरफ़ संबंधित अधिकारी याचिकाकर्ता को दावा जमा करने में कथित देरी के लिए सज़ा देना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ़

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्हीं अधिकारियों ने मामले पर फैसला लेने में कई साल लगा दिए। अधिकारियों का ऐसा रवैया, जिसके कारण मामला सालों तक लटका रहा, देरी के आधार पर उनके तर्क को पूरी तरह से कमज़ोर बना देता है। ऐसे हालात में याचिकाकर्ता को किसी कल्याणकारी योजना का फ़ायदा न देना न्याय का मज़ाक उड़ाने जैसा होगा, खासकर तब जब देरी साफ़ तौर पर प्रशासनिक कमियों की वजह से हुई हो, न कि दावा करने वाले की किसी गलती की वजह से। अधिकारियों की लापरवाही या काम न करने की सज़ा याचिकाकर्ता को नहीं दी जा सकती।

28. ऊपर बताई गई बातों और हालात को देखते हुए, यह न्यायालय मानता है कि याचिकाकर्ता का दावा तय समय-सीमा के भीतर था और समय-सीमा के आधार पर दावे को खारिज करने वाला आदेश सही नहीं है।

29. प्रतिवादी संख्या 2, ज़िला अधिकारी, बलिया द्वारा 16.12.2021 को पारित वह आदेश, जिसके तहत याचिकाकर्ता के “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना” के अंतर्गत किए गए दावे को खारिज कर दिया गया था, उसे इसके द्वारा रद्द किया जाता है। मामले को ज़िला अधिकारी, बलिया के पास वापस भेजा जाता है ताकि वे कानून के अनुसार और ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के दावे पर नए सिरे से विचार कर सकें। यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए, और बेहतर होगा कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति पेश किए जाने की तारीख से आठ हफ़्ते के भीतर इसे पूरा कर लिया जाए।

30. तदनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है। खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति श्रीमती गरिमा प्रसाद)

(न्यायमूर्ति श्री अजीत कुमार)

12 मार्च 2026

राकेश